अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

कार्यालय आदेश सं०–प्र०–6 / निबंधन श्रेणी– 2–14 / 2012–4731(B) पटना, दिनांक 13.7.16

पथ प्रमंडल नवादा अन्तर्गत सरकट्टी मोड़ सुभानपुर पथ के कि०मी० 1, 2, 3 (अंश), 4 (अंश) एवं 10 (अंश) में IRQP कार्य वर्ष 2012–13 हेतु संवेदक श्री संजय कुमार गुप्ता, पता–मीठापुर, रामदास पथ, बी० एरिया, पटना के साथ एकरारनामा किया गया, जिसका एकरारनामा स०–12F_2/2012-13 एवं एकरारनामा की राशि रुपये 97,75,941.00 था। एकरारनामा के अनुसार कार्यारंभ की तिथि 09.04.2012 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.07.2012 थी।

2. कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य आंशिक रूप से सम्पन्न किये जाने के कारण कार्यपालक अभिंयता, पथ प्रमंडल, नवादा के कार्यालय पत्रांक–1194 दिनांक–19.09.2012 के द्वारा संवेदक को डिबार किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक–6696 (ई०) दिनांक–10.10.2012 के माध्यम से प्रचारित की गयी।

3. उक्त कार्य को सम्पन्न करने हेतु संवेदक को अनेक बार स्मारित किए जाने एवं चेतावनी देने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य सम्पन्न कराने में रूचि नहीं ली गई। इस संबंध में संवेदक को प्रेस विज्ञाप्ति (पी०आर०नं०–14244 (पथ) 2014–15) के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूरा करने का समय देते हुए अनुबंध की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया जा सका और न ही इस संबंध में संवेदक द्वारा कोई कार्रवाई की गयी।

4. उपरोक्त स्थिति में F_2 एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालक अभिंयता, पथ प्रमंडल, नवादा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–466 दिनांक–26.05.2015 के द्वारा एकरारनामा सं०–12F_2/2012-13 को Risk & Cost Factor के साथ विखंडित करते हुए Earnest Money, Security Deposit, Bank Performance Guarantee को जब्त करते हुए संवेदक (निबंधन सं०–श्रेणी–02 / 397 / 2012) को कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गयी ।

5.. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा के उक्त कार्यालय आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–4639 (ई०) दिनांक–27.07.2015 के द्वारा संवेदक को सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नहीं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) के आलोक में उन्हें कालीसूची में डालने की कार्रवाई की जाय।

6. उपरोक्त निदेश के आलोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–07.08.2015 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो निम्न है :–

6.1 वैट डबल काटे हैं। विभाग भी काटता है और इंडियन ऑयल भी काटा है।

6.2 पूर्ण कागजात दिया गया रॉयल्टी का, पर रॉयल्टी वापस नहीं किया गया। रॉयल्टी दोनों तरफ से काटा गया।

6.3 अलकतरा फँसा था 13.50 टन लेकिन मात्र दिया गया 06 टन।

6.4 अन्य मशीनरी वृद्धि मूल्य व मेटेरियल वृद्धि मूल्य नहीं दिया गया।

6.5 रोड ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। शेष बचा कार्य 25 प्रतिशत कार्य का पुनः इस्टीमेट बनाकर दिया जाय तो कार्य पूर्ण हो जायेगा।

6.6 यांत्रिक कार्यशाला में अलकतरा का खपत प्रतिशत अधिक कर हमें नुकसान यांत्रिक कार्यशाला में पहुँचाया।

6.7 रोड बनने के दौरान मिश्रण माल अधिक बिछाया गया यह सब यांत्रिक कार्यशाला के द्वारा किया गया।

अतः उपरोक्त स्थिति में कार्य करना कैसे संभव होगा। या तो मुझे Estimate सुधार कर पुनः काम करने का मौका दिया जाय या मेरा Earnest Money, Security Deposit, Royalty एवं Vat की राशि वापस की जाय।

7. संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा की गयी बिन्दुवार समीक्षा निम्नवत है :–

7.1. वैट की कटौती बिहार मूल्य वृद्धि कर अधिनियम 2005 की धारा 41 एवं नियमावली के नियम 29 के तहत संविदा कार्य पर कर कटौती 5 प्रतिशत की दर से स्रोत पर काटी गयी है जो नियमानुकूल है।

7.2 संवेदक को ज्ञात है कि M तथा N प्रपत्र तथा चालान खनन विभाग से सत्यापित होने के पश्चात ही रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।

7.3 कृत कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा का भुगतान किया जा चुका है।

7.4 एकरारनामा एफ$_2$ आधारित है एवं एफ$_2$ एकरारनामा में मशीन वृद्धि एवं मेटेरियल वृद्धि मूल्य नहीं दिये जाने का प्रावधान है।

7.5 संवेदक का कथन तथ्यहीन है एवं संवेदक द्वारा लगाया गया शर्त्त अमान्य है।

7.6 संवेदक का कथन तथ्यहीन एवं आधारहीन है, क्योंकि संवेदक द्वारा दिनांक–20.10.2012 से 27.02.2014 तक प्लांट स्थल पर कुल 348 Drum Bitumen @156.5 Kg/Drum के अनुसार कुल 54.462 MT बिटुमिन BM एवं SDBC कार्य हेतु बिटुमिन

टैंक में डाला गया, जिससे BM कार्य–996.148MT में बिटुमिन खपत (@3%) : 29.80 MT एवं SDBC कार्य–334.464 MT में बिटुमिन खपत (@5%) : 16.70 MT अर्थात कुल बिटुमिन खपत 46.50MT किया गया तथा शेष बिटुमिन 7.962 अर्थात 8.0 MT बिटुमिन टैंक में फसने के कारण विभागीय आदेश संख्या–7008 (एस) दि० 03.09.2013 के तहत संवेदक श्री संजय कुमार गुप्ता को उनके विपत्र संख्या–शून्य दिनांक–21.09.2012 के विरूद्ध 8.0 MT बिटुमिन का भुगतान ₹3,85,730.00 कर दिया गया है।

अतः बिटुमिन का खपत मानक के अनुरूप है। संवेदक का कोई सामग्री प्लांट स्थल पर शेष नहीं है। अलकतरा का अधिक प्रतिशत खपत का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है।

7.7 कृत कार्य में प्रयुक्त मिश्रण का बिछाव सड़क की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई के मानक के अनुरूप तप्त मिश्रण संयंत्र से हॉट मिक्स की Laying Paver Machine द्वारा की गयी है। अतः संवेदक का यह आरोप कि सड़क बनाने के दौरान मिश्रण माल अधिक बिछाया गया, बेबुनियाद है।

8. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का सही जवाब न देकर तथ्यहीन आरोप एवं शर्त्ते रखी गयी है जो अस्वीकार्य है।

9. स्पष्ट है कि कार्य पूरा करने में संवेदक द्वारा लापरवाही बरती गयी है। फलस्वरूप कार्य अधूरा रह गया, जिसके कारण Road User को निश्चित अवधि में सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया।

समीक्षोपरांत उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। फलतः इसे अमान्य किया जाता है तथा सड़क मरम्मति जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने तथा कार्य को अधूरा छोड़ देने के लिए संवेदक श्री संजय कुमार गुप्ता पूर्ण रूप से जिम्मेवार है।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 (1) (a) के प्रावधानों के आलोक में संवेदक श्री संजय कुमार गुप्ता, पिता–स्व० बैजनाथ प्रसाद गुप्ता, पता–मीठापुर, रामदास पथ, बी०एरिया, जक्कनपुर, पटना–01 (निबंधन सं०–अ०प्र०–श्रेणी–2–397/2012, पथ) को अगले दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

13/2/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

P.T.O.